

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1118/2022/10-11/1943

भोपाल, दिनांक 01/06/22

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं

नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

सहायक वन महानिरीक्षक,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,

नई दिल्ली-110003

विषय:- रायसेन जिले के वन मण्डल औबेदुल्लागंज अन्तर्गत रातापानी अभ्यारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ़ को विस्थापित कर परिक्षेत्र गोहरगंज के कक्ष क्रमांक पी. एफ.-881, पी.एफ.-882 एवं आर.एफ.-315 एवं आर.एफ.-316 में विस्थापित/ पुर्नवास किए जाने हेतु 55.00 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/8-04/2022-FC दिनांक 13.04.2022

---0---

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 10 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

प्रकरण में चाही गई जानकारी वन मण्डलाधिकारी औबेदुल्लागंज ने अपने पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2022/2407 दिनांक 20.05.2022 से बिन्दुवार प्राप्त हुई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

अतः प्रकरण में आपके चाहे अनुसार जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:- (उपरोक्तानुसार+ सी0डी0)

भवदीय



(सुनील अग्रवाल)


भोपाल, दिनांक 01/06/22

पृ. क्रमांक/एफ-5/1118/2022/10-11/1944

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), भोपाल वृत्त, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, औबेदुल्लागंज, मध्यप्रदेश।
3. अधीक्षक, रातापानी अभ्यारण्य, औबेदुल्लागंज वन मण्डल मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल औबेदुल्लागंज

गोशंगाबाद रोड औबेदुल्लागंज फोन नं0 07480-224062 फेक्स नं0 07480-224911 email-dfotogunj@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./22/ 2406
प्रति,

औ.गंज/दिनांक, 30.5.22

मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त भोपाल

विषय: रायसेन जिले के वनमंडल औबेदुल्लागंज अंतर्गत रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ को विस्थापित कर परिक्षेत्र गौहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.881, पी.एफ.882 एवं आर.एफ.315, आर.एफ.316 में विस्थापित/पुर्नवास किए जाने हेतु 55.00 हे0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव। ऑनलाइन प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/FVC/151576/2022

संदर्भ: आपका पृ.पत्र क्रमांक/मा.चि./2253 दिनांक 26.4.22 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1118/2022/10-11/1375 दिनांक 19.4.22

—00—

निवेदन है कि, प्रकरण अंतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 10 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

प्रकरण में समस्त 10 बिन्दुओं की वांछित जानकारी की पूर्ति कर ऑनलाइन भेजने हेतु साफ्ट कॉपी सी.डी.के माध्यम से एवं हार्ड कॉपी में प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (सी.डी.)


वनमंडलाधिकारी,
सा.वनमंडल औ.गंज

पृ.क्रमांक/मा.चि./22/ 2407
प्रतिलिपि :-

औ.गंज/दिनांक, 30.5.22

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0भोपाल की ओर ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में जानकारी सूचनार्थ प्रेषित है। संलग्न - सी.डी.
3. अधीक्षक रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य औ.गंज की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।


वनमंडलाधिकारी,
सा0 वनमंडल औ.गंज

कार्या. अ.प्र.मु.व.स (भू.प्र.) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
आयक क्रमांक.....1025 मध्यप्रदेश, भोपाल
मध्यप्रदेश, भोपाल
25/5/22 24-5

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सा० वनमंडल औबेदुल्लागंज

होशंगाबाद रोड औबेदुल्लागंज फोन नं० 07480.224062 फेक्स नं० 07480-224911 email-dfooganj@mpforest.org

Reply to the queries raised by Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division) Dated: 13 April, 2022:-

Query No. 1. The State govt. has not provided the basic details of the area being vacated by relocating the village Neelgarh. The complete details of the area including the area under habitation, agriculture, nistar rights and other land-use categories along with documentary evidence may be submitted.

Reply - Details are attached in Annexure-I

Query No. 2. The State govt. shall ensure that the instant proposal fulfills all the conditions of voluntary relocation guidelines dated 20.05.2019 issued by the ministry.

Reply - Details are attached in Annexure-II

Query No. 3. The State govt. shall ensure that the area being vacated is a part of the Core/Critical Tiger Reserve or Core of the Protected Area (National Park or Sanctuary).

Reply - Yes, village Neelgarh is a part of Core area of Ratapani Wildlife Sanctuary.

Query No. 4. As per DSS analysis, the proposed diversion area is 55.202 Hact. instead of 55.00 Hact. therefore correct KML/Shape file of 55.00 hact. needs submission.

Reply - Corrected KML file of 55.00 Hact. is provided in CD attached with this letter.

Query No. 5. The KML/Shape file of forest village "Neelgarh" which is proposed to be relocated has not been submitted.

Reply - KML file of forest village "Neelgarh" which is proposed to be relocated is in CD attached with this letter.

Query No. 6. The KML file of Ratapani Wildlife Sanctuary indicating its core area and notified ESZ boundary needs submission.

Reply - KML file of Ratapani Wildlife Sanctuary indicating its core area and notified ESZ boundary is in CD attached with this letter.

Query No. 7. The total number of "villagers" to be rehabilitated in the village "Neelgarh" along with the number of families entitled for relocation or rehabilitation under the scheme may be submitted.

Reply - Details of families entitled for relocation or rehabilitation under the scheme are:-

Village name	Voters population (18+ age)		Population (Age below 18 years)		No. of Families	
	Male	Female	Male	Female	Land Unit	Money Unit
Neelgarh	85	81	47	47	22	87
Total	258 (Village population)				109	

E:/Village relocation proposal/Reply of queries raised by MoEF & CC.doc

Query No. 8. Site inspection report of DFO mentions that the canopy density of the forest land proposed to be diverted is 0.3 to 0.4 whereas as per information submission only 28 number of trees are getting affected through instant proposal. This needs clarification.

Reply - **The density 0.3 to 0.4 mentioned in proposal is given as per Working Plan of Forest Division Obaidullaganj that is the average density of whole forest compartment included in proposal. However, the actual density of proposed area, which includes part of compartments RF 315, RF 316, PF 881 & PF 882, is less than 0.1 density and it includes only 28 trees to be cut. Please refer Annexure – III for stock density map of proposed area from working Plan.**

Query No. 9. The basic of calculation of the total area of the village being vacated has not been provided, which is required to be given.

Reply - **Details are attached in Annexure-I**

Query No. 10. The State govt. shall ensure that the instant proposal is for the relocation of entire Neelgarh village. A certificate that the area under Neelgarh village will become inviolate and no families/persons will be left within this village for further relocation shall be submitted.

Reply - **Yes, Certificate are attached with this letter. Please see Annexure IV.**


Divisional Forest Officer
(T) Division Obaidullaganj

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल औबेदुल्लागंज

होशंगाबाद रोड औबेदुल्लागंज फोन नं0 07480.224062 फेक्स नं0 07480-224911 email-dfooganj@mpforest.org

Annexure-I

The complete details of the area being vacated by relocation of Village "Neelgarh" are as under:-

S.No.	Land used	Area	Documentary evidence
1.	Habitation	2.521 Hectare.	Page no. 1 to 28 of Annexure-I
2.	Agricultural	46.11 Hectare.	Page no. 1 to 34 of Annexure-I
3.	Nistar rights चराई क्षेत्र - 118 x 2.0 = 236 Hectare वनमार्ग - 17km x 3m = 5.10 Hectare	241.10 Hectare.	Page no. 35 to 41 of Annexure-I*
4.	Other Land use	Nil	-

*These pages are part of Management plan of Ratapani Sanctuary. According to that Neelgarh village have 118 cattle's and per cattle 2 hectare area of sanctuary has been allotted as Nistar Right. Similarly a forest path of 17 km length and 3.00 mtr breadth is allotted to Neelgarh villages as Nistar Right.


Divisional Forest Officer
Division Obaidullaganj

उपबंध -2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र. 095 / रायसेन / गोंडगंज / कुआटिया / नीला / 049 / व्यक्तिगत / 08

दिनांक : 31-08-2008

- 1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम
(प्रति या पत्नी सहित) श्री जेत सिंह
श्रीमती कोमल बाई
- 2. पिता/माता का नाम - रामा / कुल्लो बाई
- 3. आश्रितों का नाम -

1. कोमल बाई	पत्नी	40 वर्ष	6. शिवराज पुत्र	14 वर्ष
2. कमलेश	पुत्र	20 वर्ष	7. दशरथ दामाड	26 वर्ष
3. सुनील	पुत्र	18 वर्ष	8. मोहन बाई पुत्री	23 वर्ष
4. मीना	पुत्री	18 वर्ष	9. शीपा	पति 04 वर्ष
5. रेखा	पुत्री	16 वर्ष	10. असम कुमर	पति 01 वर्ष

- 4. पता - पो. बगलपुर
- 5. ग्राम - नीला
- 6. ग्राम पंचायत - कुआटिया
- 7. तहसील - गोंडगंज
- 8. जिला - रायसेन



- 9. अनुसूचित जनजाति / अन्य परम्परागत वन निवासी - गोंड
- 10. क्षेत्रफल - नि. 721 वर्ग मी, कृषि - 2.023 हेक्टे.

11. खसरा / कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमादिन्हों द्वारा सीमाओं का विवरण - RF 466
द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - जंगल, (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)
पश्चिम - रास्ता, उत्तर - चंदा, दक्षिण - जेत सिंह

इस हक दाव योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

म, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

जिला जंगल अधिकारी/उप वनसंरक्षक
रायसेन

राजीव दाशव
कलेक्टर
जिला-रायसेन
कलेक्टर/उपआयुक्त

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी
रायसेन

उपबंध -2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय



(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008
का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./0093 /रायसेन/गौहरगंज/डुंगरिया/नीलगढ़/0054 /व्यक्तिगत/08 दिनांक : 31-08-2008

- वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम श्री जालमसिंह, श्रीमती सानित्री नाई
(पति या पत्नी सहित)
- पिता/माता का नाम - श्री रामा/कुल्को नाई
- आश्रितों का नाम -
 - श्रीमती सानित्री नाई पत्नी 35 वर्ष
 - धर्मेन्द्र पुत्र 19 वर्ष
 - जिलेन्द्र पुत्र 15 वर्ष



- पता -
- ग्राम - नीलगढ़ पो. बगालपुर
- ग्राम पंचायत - ~~बगालपुर~~ डुंगरिया
- तहसील - गौहरगंज
- जिला - रायसेन
- अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गौड़
- क्षेत्रफल - मिनस 540.5 वर्ग मी, मूवि 2.023 हे. ~~से~~
- खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों RF-466

द्वारा सीमाओं का विवरण पूर्व - रास्ता (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)
पश्चिम - प्रशासनाखेट
उत्तर - जंगल दक्षिण - जंगली कान्ठ

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

वन मंडलीय अधिकारी/उपायमसंरक्षक
रायसेन - डी.वेदुआयत
जिला - रायसेन

कलेक्टर/उपआयुक्त
रायसेन

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

उपबंध - 2

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(3)

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र. 10113 / रायसेन / गौहरगंज / जंगरिया / नीलवाड / 0015 / व्यक्तिगत / 08

दिनांक : 31-08-20

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम - श्री अतरसिंह, श्रीमती बज्जराबाई
(प्रति या पत्नी सहित)

2. पिता/माता का नाम - श्री रामदयाल/खित्तो बाई

3. आश्रितों का नाम - 1. श्रीमती बज्जराबाई - पत्नी - 35 वर्ष

2. अजेय पुत्र 19 वर्ष

3. भाणवती पुत्री 15 वर्ष

4. सुरेश पुत्र 17 वर्ष

5. रजनी पुत्री 13 वर्ष



4. पता - पोस्ट - बगासपुर

5. ग्राम - नीलवाड

6. ग्राम पंचायत - जंगरिया

7. तहसील - गौहरगंज

8. जिला - रायसेन

अतरसिंह

9. अनुसूचित जनजाति / अन्य परम्परागत वन निवासी - जाँड

10. क्षेत्रफल - विनास - 600 वर्ग फी. बूमि - 10 हेक्टेयर

11. खसरा / कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों R F - 466

द्वारा सीमाओं का विवरण शर्त - राज्वा के (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

परिम - रास्ता, उत्तर - मोहन नाथ, दक्षिण - तुलसीराज नाथ

यह हक दाव योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंग्रह्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

आदेश सिंह

वन मंडलीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक
रायसेन - भोवदुआगंज
जिला - रायसेन

श्री

सहाय्यक सचिव
रायसेन
कलेक्टर/उपआयुक्त

अनु

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी
रायसेन

(3)

उपबंध -2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008
का नियम 8(ज) देखें)



अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./ 0107 / रायसेन / गौहरोज / डुंगरिया / नीलगढ़ / 0027 / व्यक्तिगत / 08

दिनांक: 31-08-20

- वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम
(पति या पत्नी सहित)
- पिता/माता का नाम -
- आश्रितों का नाम -

श्री मदन सिंह
श्रीमती जानकी बाई
चेतन / मोमल बाई



1. जानकी बाई	पति	40 वर्ष
2. अनीता	पुत्री	18 वर्ष
3. गीता	पुत्री	16 वर्ष
4. महेश	पुत्र	14 वर्ष
5. लुप्याट	पुत्र	12 वर्ष
6. विमलेश	पुत्र	10 वर्ष
7. लंछया	पुत्री	06 वर्ष

- पता - पो. बजालपुर
- ग्राम - नीलगढ़
- ग्राम पंचायत - डुंगरिया
- तहसील - गौहरोज
- जिला - रायसेन

- अनुसूचित जनजाति / अन्य-परम्परागत-वन-निवासी - गोंड
- क्षेत्रफल - नि. 721 वर्ग मी., एचि - 1.214 हेक्टर

- खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - जात्मप्र, पश्चिम - जंगल, उत्तर - जंगल, दक्षिण - प्रकरा (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मदनलाल

वन मंडलीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

कलेक्टर/उपआयुक्त

उपबंध -2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

दिनांक : 31-08-2008

क्र./0093 / रायसेन/गोहराज/इंगरिया / नीलगढ़ / 0054 / व्यक्तिगत/08

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम श्री तुलसीराम, श्रीमती प्यारीबाई.
(पति या पत्नी सहित)

2. पिता/माता का नाम - श्री लक्ष्मण/राममली बाई.

3. आश्रितों का नाम -
1. श्रीमती प्यारीबाई पत्नी 45 वर्ष.
2. रामनिलास पुत्र 20 वर्ष.
3. उशोक बाई पुत्री 18 वर्ष.
4. अविता पुत्री 16 वर्ष.



4. पता - पोश्च - बगालपुर

5. ग्राम - नीलगढ़

6. ग्राम पंचायत - इंगरिया.

7. तहसील - गोहराज.

8. जिला - रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गोंड.

10. क्षेत्रफल - निगास - 0.405 हे. कुचि. 1.619 हे.

11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों RF-466

द्वारा सीमाओं का विवरण पूर्व - शिवसिंह का लेट

(संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

पश्चिम - नाला.

उत्तर - अतरगिरा नाले.

दक्षिण - उत्तराग का लेट

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

निशंकर सिंह

वन मंडल अधिकारी/ वन संरक्षक

वनमण्डल - औवेदुगांज

जिला - रायसेन

संदीप यादव

कलेक्टर

जिला - रायसेन

कलेक्टर/उपआयुक्त

अमित कुमार जैन

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

आ. डा. ०० रायसेन

तुलसीराम

5

उपबंध -2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

दिनांक: 31-08-2008

क्र./0/04 / रायसेन/गोहरगंज/डुंगरिगा/नीलगढ़/0020/व्यक्तिगत/08

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम - श्री चैतराम, श्रीमती लक्ष्मीबाई

(पति या पत्नी सहित)

- श्री रामसिंह/गनेशीबाई.

2. पिता/माता का नाम -

3. माश्रितों का नाम -

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. श्रीमती लक्ष्मीबाई | पत्नी 45 वर्ष. |
| 2. दशरथ | पुत्र 21 वर्ष. |
| 3. सरोजबाई | पुत्र - 19 वर्ष. |
| 4. सुशीला | पुत्री 15 वर्ष. |
| 5. कन्हैयालाल | पुत्र 12 वर्ष. |
| 6. सोहिल | पुत्र 01 वर्ष. |



4. प्लॉट - पोस्ट कासपुर

5. ग्राम - नीलगढ़

6. ग्राम पंचायत - डुंगरिगा,

7. तहसील - गोहरगंज

8. जिला -

रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गोंड

10. क्षेत्रफल - निवास - 721 वर्गमीटर, भूधि 1.0 हेक्टेयर.

11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों RF-466

द्वारा सीमाओं का विवरण पूर्व-जंगल, पश्चिम-राप्ता (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

उत्तर-रंगतसिंहका खेत, दक्षिण-जंगल

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है:-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

वन मंडलीय अधिकारी/उप वन संरक्षक

कलेक्टर/उपआयुक्त

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

उपबंध -2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008
का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./ 098 / रायसेन/गौहरगंज/डुंगरिया / नीलगढ़ / 026 / व्यक्तिगत/08

दिनांक: 31-08-2008

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम
(पति या पत्नी सहित)
2. पिता/माता का नाम -
3. माश्रितों का नाम -

श्री रमेश
श्रीमती लक्ष्मी बाई
हृदय राम / लंतो बाई

1.	लक्ष्मी बाई	पति	25 वर्ष
2.	राजकुमार	पुत्री	10 वर्ष
3.	उमेश	पुत्र	08 वर्ष
4.	निदेश	पुत्र	06 वर्ष
5.	हृदय राम	पिता	80 वर्ष



4. पता - चो. बगालपुर
5. ग्राम - नीलगढ़
6. ग्राम पंचायत - डुंगरिया
7. तहसील - गौहरगंज
8. जिला - रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परंपरागत वन निवासी - गोंड
10. क्षेत्रफल - नि. 721 वर्ग मी.; कृषि 1.214 हेक्टर.
11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों
द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - रास्ता, RF 466
पश्चिम - जंगल, उत्तर - शैपालाल, दक्षिण - जंगल
यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

रमेश

(संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

(Signature)
निदेश

वन अंडरलेज अधिकारी/उपनिवेश संरक्षक
रायसेन - ओ.ए.डी.ओ.

(Signature)
संक्षेप अधिकारी
कलेक्टर

जिला - रायसेन
कलेक्टर/उपआयुक्त

(Signature)

संक्षेप अधिकारी
जिला जनजाति कल्याण अधिकारी
जिला रायसेन
भ.ज.क. रायसेन

उपबंध -2

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

ब. / 01/17 / रायसेन / गोंडगंज / डुंगरिया / नीलगाढ़ / 0030 / व्यक्तिगत / 08

दिनांक : 31.8.2008

- वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम
(पति या पत्नी सहित)
- पिता/माता का नाम -
- आश्रितों का नाम -

श्री हरी सिंह
श्रीमती जिजजा बाई
सूरज सिंह / छोटी बाई

1.	जिजजा बाई	पत्नी	25 वर्ष
2.	पुर्जा	पुत्री	03 वर्ष
3.	आरती	पुत्री	01 वर्ष
4.	सूरज	पिता	70 वर्ष



- पता - पो. बगासपुर
- ग्राम - नीलगाढ़
- ग्राम पंचायत - डुंगरिया
- तहसील - गोंडगंज
- जिला - रायसेन

- अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गोंड
- क्षेत्रफल - चि 225 वर्ग मी., कृषि 1.214 हेक्टे.
- खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों द्वारा सीमाओं का विवरण - RF 466

शिवम - रास्ता, अर - पुसिपा बाई, पक्षिण - चंदन सिंह
(संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

एम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

जिजजा बाई

निर्धारित तिथि

वन मंडलीय अधिकारी/ जमीन सहायक
रायसेन जिला - औबेदुल्लाखाना
जिला - रायसेन

सहायक वन अधिकारी
कलेक्टर
जिला - रायसेन

जिला जनजाति कार्यवाही अधिकारी
जिला मंयोजक
रायसेन

उपबंध -2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./0092 /रायसेन/गौहरगंज/हुंगरिया/नीलगढ़/10051/व्यक्तिगत/08

दिनांक : 31-08-2008

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम - श्री चैत्रसिंह, श्रीमती देवकी बाई.
(पति या पत्नी सहित)

2. पिता/माता का नाम -

श्री रामा / कुल्लो बाई.

3. आश्रितों का नाम -

1. श्रीमती देवकी बाई पत्नी 30 वर्ष.
2. गनेरी पुत्री 12 वर्ष
3. देवेन्दु पुत्र 10 वर्ष
4. प्रियंका पुत्री 08 वर्ष
5. राधेवेन्दु पुत्र 06 वर्ष.



4. पता - पोस्ट - बगासपुर

5. ग्राम - नीलगढ़

6. ग्राम पंचायत - हुंगरिया

7. तहसील - गौहरगंज

8. जिला -

रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गोंड

10. क्षेत्रफल - निवास - 1501.5 वर्गमीटर, भूमि 1.214 हे०

11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों द्वारा सीमाओं का विवरण RF-466

उत्तर - जंगल, दक्षिण - जंगल, पूर्व - जंगल, पश्चिम - जंगल (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

वन मंडलीय अधिकारी/उप वन संरक्षक

जिला रायसेन

सदीप चावड़ा

कलेक्टर

जिला-रायसेन

कलेक्टर/उपआयुक्त

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

जिला मंयोजक

आ० जा० क० रायसेन

चैत्रसिंह

उपबंध -2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008
का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./0105 / रायसेन/गौहरोज / डुंगरिया / नीलगढ़ / 0025 / व्यक्तिगत/08

दिनांक : 31-08-20

- | | |
|--|---|
| 1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम
(प्रति या पत्नी सहित) | श्री बलराम
श्रीमती केराबाई |
| 2. पिता/माता का नाम - | कुडीलाल / हल्कीबाई |
| 3. आश्रितों का नाम - | 1. केराबाई पति 32 वर्ष
2. रमेश पुत्र 18 वर्ष
3. जयता पुत्री 16 वर्ष
4. शोना पुत्री 14 वर्ष |

- | | |
|-------------------|-------------|
| 4. पता - | पो. बगासपुर |
| 5. ग्राम - | नीलगढ़ |
| 6. ग्राम पंचायत - | डुंगरिया |
| 7. तहसील - | गौहरोज |
| 8. जिला - | रायसेन |

- | | |
|---|--|
| 9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - | गोंड |
| 10. क्षेत्रफल - | नि 541 वर्ग मी, कृषि - 1.000 हेक्टे. |
| 11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों
द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - रास्ता | RF 466
(संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार) |

पश्चिम - रामलिंग, उत्तर - निरपत शाह, दक्षिण - जंगल
यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है:-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

वन मंडलीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक
रायसेन

रंजीत कुमार
कलेक्टर
रायसेन

रंजीत कुमार
जिला जनजाति कल्याण अधिकारी
जिला सरोजक
आ.जा.क. रायसेन

उपबंध - 2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 का नियम 8(ज) देखें)

11

अधिमोग के अधीन वन भूमि के लिए एक

क्र./ 96 / रायसेन/गोखरगंज / डुंगरिया / नीलगढ़ / व्यक्तिगत/08

दिनांक : 28-05-09

- वन अधिकारों के धारक (फों) के नाम (पति या पत्नी सहित)
- पिता/माता का नाम -
- आश्रितों का नाम -

श्रीमती पुस्त्रियाबाई / चुन्नीलाल
 वल्लु / तीतोबाई
 प्रियंकसिंह पुत्र 15
 वंदना महिला पुत्री 13



- पता - नीलगढ़
- ग्राम - नीलगढ़
- ग्राम पंचायत - डुंगरिया
- तहसील - गोखरगंज
- जिला - रायसेन

अनुसूचित जनजाति/ अन्य परंपरागत वन निवासी - गोड
 क्षेत्रफल - निवाहस - 100x50 , कृषि - 2.023 हे.
 खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों द्वारा सीमाओं का विवरण - न.र-466.

(संतुलन मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

क दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंग्राम्य या शोधोहरताशरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि के लिए हरदापर करते हैं।

रायसेन जिला
 गोखरगंज तहसील

पुस्त्रियाबाई

11

उपबंध - 2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008
का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक



क्र./ 099 / रायसेन / गोंडगंज / डुंगरिया / नीलगढ़ / 028 / व्यक्तिगत/08

दिनांक : 31-08-2008

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम
(पति या पत्नी सहित)
2. पिता/माता का नाम -
3. माश्रितों का नाम -

श्री गोविन्द
श्रीमती मधुराबाई
बाबूलाल / शंतिबाई



- | | | | |
|----|----------|--------|---------|
| 1. | मधुराबाई | पत्नी | 25 वर्ष |
| 2. | अयोध | पुत्र | 12 वर्ष |
| 3. | लक्ष्मी | पुत्री | 10 वर्ष |
| 4. | अभिषेक | पुत्र | 8 वर्ष |

4. पता - पो. बगलपुर
5. ग्राम - नीलगढ़
6. ग्राम पंचायत - डुंगरिया
7. तहसील - गोंडगंज
8. जिला - रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गोंड

10. क्षेत्रफल - नि. 751 वर्ग मीटर, क्वार्टर 0.809 हेक्टर

11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों
द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - जंगल RF 466

(संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

पश्चिम - दुखिमाबाई, उत्तर - जंगल, पश्चिम - कमल

यह हक बाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

निरंकर सिंह
वन मंडलीय अधिकारी/अप वनसंरक्षक
रायसेन - भोवेंदुलागंज
जिला - रायसेन

संदीप शास्त्री
कलेक्टर
कलेक्टर/अधीनस्थ

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी
जिला रायसेन
आ०बा०क्र० रायसेन

उपबंध -2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय



(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

दिनांक: 31-08-2008

1. 0115 / रायसेन / गौहरगंज / डुंगरिया / नीलगढ़ / 0014 / व्यक्तिगत/08

2. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम
(पति या पत्नी सहित)

श्री श्रीमालाल
श्रीमती श्रीराबाई
फनोरसा / मित्रिया

3. पिता/माता का नाम -

4. अधिकारों का नाम -

- | | | | |
|----|-----------|-------|---------|
| 1. | श्रीराबाई | पति | 50 वर्ष |
| 2. | सुखराम | पुत्र | 15 वर्ष |
| 3. | महेय | पुत्र | 13 वर्ष |



4. पता - पो. बगालपुर

5. ग्राम - नीलगढ़

6. ग्राम पंचायत - डुंगरिया

7. तालीक - गौहरगंज

8. जिला - रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गोंड

10. क्षेत्रफल - निवारण 1501.5 वर्ग मी कृषि 1.214 हे.

11. नकशा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों - RF 466

12. द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - नाला, पश्चिम - जंगलसंलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार

उत्तर - मेचरज, दक्षिण - खेय

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या विवादास्पद नहीं है :-

13. उपरोक्तकारी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

निरीक्षक सिविल
जिला जनजाति कल्याण अधिकारी
रायसेन

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी
रायसेन
कलेक्टर/उपआयुक्त

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी
रायसेन

उपबंध - 2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./0/04 / रायसेन/गौहरगंज/डुंगरिया/नीलगड / 0023 / व्यक्तिगत/08

दिनांक: 31-08-2

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम श्री निरपत शाह, श्रीमती जमुना बाई.
(पत्निया पत्नी सहित)

2. पिता/माता का नाम -

श्री कारेशाह / मिमिषा बाई.

3. आश्रितों का नाम -

1. श्रीमती जमुना बाई पत्नी 40 वर्ष.
2. राजेश पुत्र 22 वर्ष.
3. नल्ला बाई पुत्रवधू 19 वर्ष.
4. भूरा पुत्र 15 वर्ष.
5. लक्ष्मी पौत्री 03 वर्ष.

4. पता - पोस्ट - नगासपुर.

5. ग्राम - नीलगड

6. ग्राम पंचायत - डुंगरिया.

7. तहसील - गौहरगंज

8. जिला -

रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गोंड

10. क्षेत्रफल - 1501.50 वर्ग मीटर (निवास), वृष्टि - 1.00 हेक्टेयर.

11. खसरा/ कंपार्टमेन्ट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों द्वारा सीमाओं का विवरण पूर्व - रास्ता. उत्तर - जंगल (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार) R F - 466

पश्चिम - राजू का खेत, दक्षिण - कलिराम का खेत

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

वन मंडलीय अधिकारी/उप वन संरक्षक

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

जिला-रायसेन
कलेक्टर/उप आयुक्त

14

जगदीश 510 गोपाल सिंह

29

उपबंध - 2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक



दिनांक: 31-08-2008

क्र./ 0102 / रायसेन / गोंडों / कुंगटिघा / नीलगढ़ / 0031 / व्यक्तिगत / 08

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम

(पति या पत्नी सहित)

श्री जगदीश
श्रीमती कलाबाई

2. पिता/माता का नाम -

गोपाल सिंह / सावित्री बाई

3. आश्रितों का नाम -

- | | | | |
|----|--------|--------|---------|
| 1. | कलाबाई | पति | 24 वर्ष |
| 2. | सपना | पुत्री | 08 वर्ष |
| 3. | मुनिषा | पुत्री | 06 वर्ष |
| 4. | नीलेय | पुत्र | 10 वर्ष |



4. पता - पो. बगालपुर

5. ग्राम - नीलगढ़

6. ग्राम पंचायत - कुंगटिघा

7. तहसील - गोंडगंज

8. जिला - रायसेन

जगदीश

9. अनुसूचित जनजाति / अन्य परम्परागत वन निवासी - गोंड

10. क्षेत्रफल - नि 480 वर्ग मी., कृषि 0.809 हेक्टर.

11. खसरा / कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों RF 466

द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - भगवत सिंह (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

पश्चिम - नाला, उत्तर - गोपाल, दक्षिण - रामपाल

हं हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

म, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक
जिला रायसेन

सहायक कलेक्टर
जिला - रायसेन
कलेक्टर/उपआयुक्त

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी
जिला रायसेन
आज 31-08-2008

15

उपबंध -2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008
का नियम 8(ज) देखें)



अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र. 10/110 रायसेन/गौहरगंज/दुंगरिया/नीलगढ़/0018/व्यक्तिगत/08

दिनांक: 31-08-2008

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम - श्री भगवत सिंह, श्रीमती भागवती बाई.
(पति या पत्नी सहित)

2. पिता/माता का नाम - श्री गोपालसिंह/सागित्री बाई.

3. आश्रितों का नाम -

1. श्रीमती भागवती बाई	पत्नी	20 वर्ष.
2. अमित	पुत्र	07 वर्ष.
3. कुटुमी	पुत्री	05 वर्ष.
4. अनुराधा	पुत्री	03 वर्ष.
5. अमनराज	पुत्र	01 वर्ष.



4. पता - पोस्ट - बकासपुर

5. ग्राम - नीलगढ़

6. ग्राम पंचायत - दुंगरिया

7. तहसील - गौहरगंज

8. जिला - रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गौंड

10. क्षेत्रफल - निवास - 600 वर्ग मी., वृषि - 0.809 हे.

भगवत सिंह

11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों RF-466.

द्वारा सीमाओं का विवरण पूर्व जंगल, उत्तर-जंगल (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

पश्चिम - गोपालबाई, दक्षिण - राजू का खेत.

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

वन सहायक/उप वनसंरक्षक

संजीव यादव
कलेक्टर/उप आयुक्त

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी
रायसेन

कार्य संचालय

का नियम 8(ड) के अंतर्गत

अधिनियम के अधीन वन भूमि के लिए एक

दिनांक 1/08/9 /व्यक्तिगत/08

दिनांक

राज्य/संयोजन/...

वन अधिकारी

(पति या पत्नी)

पिता/...

आदि...

- 1. श्री मोहन बाई
- 2. भगवान सिंह
- 3. निर्मला
- 4. उर्मिला
- 5. निनोद
- 6. बिनू

बगासपुर
मीलजट
कुगरिया
गोहरगंज

राजसेन

- 9. अर्थात् चित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी- गौंड
- 10. निवास- 600 वर्ग मी, वृषि- 0.405 हे.
- 11. खेती/कृषि/संख्या सहित प्रमुख सीमाबिन्दुओं RF-466
- 12. सीमाओं का निर्धारण पूर्व-आगादी, उत्तर-राक्षा (संलग्न मानचित्र) पर
- 13. पश्चिम- चतराम, दक्षिण- आगादी.

यह एक दायर है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अंतर्गत नहीं है। हमें अधोस्तारी, राज्य सरकार के लिए और उसकी ओर से करवाए जाने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मोहनबाई

18

उपबंध -2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

दिनांक : 31-08-2008

क्र. / 0023 / रायसेन / गोंड / कुंगरिया / नीलगढ़ / 0024 / व्यक्तिगत / 08

- 1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम (पति या पत्नी सहित)
- 2. पिता / माता का नाम -
- 3. आश्रितों का नाम -

श्री राज
श्रीमती चंद्रवती बाई
निरपत शाह / तुलसाबाई



1.	चंद्रवती बाई	पत्नी	25 वर्ष
2.	लीमा	पुत्री	12 वर्ष
3.	रीना	पुत्री	10 वर्ष
4.	प्रवीना	पुत्री	08 वर्ष
5.	सचिन	पुत्र	06 वर्ष
6.	रितिक	पुत्र	04 वर्ष
7.	तुलसाबाई	माँ	70 वर्ष

- 4. स्ता - चो. ब्यालपुर
- 5. ग्राम - नीलगढ़
- 6. ग्राम पंचायत - कुंगरिया
- 7. तहसील - गोंडगंज
- 8. जिला - रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति / अन्य परम्परागत वन निवासी - गोंड

10. क्षेत्रफल - नि. 54.1 वर्ग मी., कृषि - 0.809 हेक्टर

11. रासरा / कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमादिन्हों द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - निरपत शाह

पश्चिम - मोहन, उत्तर - भागवत, दक्षिण - उपरिष्ठ (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

वन मंडलीय अधिकारी/उप वन संरक्षक

जिला वन अधिकारी

कलेक्टर/उप आयुक्त

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

1

उपबंध -2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./0109/रायसेन/गौहरगंज/डुंगरिपा/नीलगढ़/0011/व्यक्तिगत/08

दिनांक: 31.08.200

- वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम - श्री गंगाधर सिंह,
(पति या पत्नी सहित) श्रीमती रामसुता नाई
- पिता/माता का नाम - श्री गोपाल सिंह / सावित्री नाई.
- आश्रितों का नाम - 1. श्रीमती रामसुता नाई पति 19 वर्ष.
2. दीपक पुत्र 02 वर्ष.



- पता - पोस्ट - बगासपुर
- ग्राम - नीलगढ़
- ग्राम पंचायत - डुंगरिपा.
- तहसील - गौहरगंज.
- जिला - रायसेन

रायसेन

प्रकाश सिंह

- अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गौड़.
- क्षेत्रफल - मिनास - 270 वर्ग मी., हफ्ता - 0.809 हे.
- खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों R F 466

द्वारा सीमाओं का विवरण पूर्व-रास्ता (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

पश्चिम - नाका, उत्तर-रास्ता दक्षिण - जंगल

यह हक दाव योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

निरंजन सिंह

वन मंडलीय अधिकारी (वन संरक्षक)
वनमण्डल-औबेदुंगंज
जिला-रायसेन

रवींद्र कुमार

कलेक्टर
जिला-रायसेन

अमित

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी
जिला रायसेन
आ०जा०क० रायसेन

2

उपबंध -2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./0111 / रायसेन/गौहरगंज/डुंगरिया/सीलगाह/0013/व्यक्तिगत/08

दिनांक: 31-08-2008

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम
(पति या पत्नी सहित)

श्री गोपाल सिंह

2. पिता/माता का नाम -

श्रीमती सावित्री बाई

3. माश्रितों का नाम -

विहरीलाल / फुलवाबाई



1.	सावित्री बाई	पत्नी	55 वर्ष
2.	अशोक	पुत्र	15 वर्ष
3.	नरेश	पुत्र	12 वर्ष
4.	सुनीता	पुत्री	18 वर्ष
5.	प्रमता	पुत्री	16 वर्ष

4. पता - पो. बगालपुर

5. ग्राम - सीलगाह

6. ग्राम पंचायत - डुंगरिया

7. तहसील - गौहरगंज

8. जिला -

रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गोंड

10. क्षेत्रफल - निवासी 721 वर्ग मी, कृषि 1.619 हेक्टर

11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों द्वारा सीमाओं का विवरण - ख - भावन

RF - 466

(संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

पश्चिम - रास्ता, उत्तर - जंगल, दक्षिण - जंगली

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

वन मंडलीय अधिकारी/उप वन संरक्षक

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

कलेक्टर/उप आयुक्त



उपबंध - 2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./0091 / रायसेन / गौहरगंज (डुंगरिपा) / जिला / 0052 / व्यक्तिगत/08

दिनांक: 31-08-2008

- 1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम **श्री जगदीश, पत्नी राधा नई**
(पति या पत्नी सहित)
- 2. पिता/माता का नाम - **श्री रामा / श्रीमती बुल्लो नई**
- 3. आश्रितों का नाम -

- 1. श्रीमती राधा नई पत्नी 25 वर्ष.
- 2. दीपा नई पुत्री 10 वर्ष.
- 3. पूजा नई पुत्री 08 वर्ष.
- 4. आशीष पुत्र 06 वर्ष.



- 4. पता - **पोस्ट - बगासपुर**
- 5. ग्राम - **नीलमड**
- 6. ग्राम पंचायत - **डुंगरिपा**
- 7. तहसील - **गौहरगंज**
- 8. जिला -

रायसेन

- 9. अनुसूचित जनजाति / अन्य परम्परागत वन निवासी - **गौंड**
- 10. क्षेत्रफल - **1500/50 वर्ग मीटर (निवासी) 7/14 हे. 1.214 हे.**

11. खसरा / कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों द्वारा सीमाओं का विवरण **RF-466**
पूर्व - चैनसिंह का खेत (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)
पश्चिम - गोफल का खेत
उत्तर - जंगल का खेत
दक्षिण - जंगल

यह हक दाव योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

इस अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

वन मंडलीय अधिकारी/उप वनसंरक्षक

कलेक्टर/उपआयुक्त

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी



उपबंध -2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए एक

क्र./०११ /रायसेन/गौहरगंज/हुंगरिजा/नीलघाट/०१७ /व्यक्तिगत/०८

दिनांक : 31-08-2008

- वन अधिकारों के धारक (को) के नाम - श्री चेतनाम, श्रीमती कोमल बाई (पति या पत्नी सहित) - श्री पूरा / मंगो बाई
- पिता/माता का नाम -
- आश्रितों का नाम - 1. श्रीमती कोमल बाई पत्नी - 65 वर्ष.



- पता - पोस्ट - बगावपुर
- ग्राम - नीलघाट
- ग्राम पंचायत - हुंगरिजा.
- तहसील - गौहरगंज
- जिला - रायसेन

- अनुसूचित जनजाति/ अन्य परंपरागत वन निवासी - जौंड
- क्षेत्रफल - निवास - 187.68 वर्ग मीटर - भूमि - 0.405 हे.
- खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों द्वारा सीमाओं का विवरण - RF-466

पश्चिम-जंगल, उत्तर-जंगल, दक्षिण-जंगल.
यह एक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंरक्षण का अंतरणीय नहीं है:-
हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

वन मंडल, रायसेन (सा०)
वन गैरवनीय अधिकारी/वन संरक्षक
जिला-रायसेन

संयोजक
जिला-रायसेन
कर्मचारी/अधीनस्थ

जिला-रायसेन
कर्मचारी/अधीनस्थ



उपबंध - 2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिमोग के अधीन वन भूमि के लिए हक



दिनांक: 31-08-2008

F./0094/रायसेन/गौहरजंज/डुगरिया/नीलगढ़/0050/व्यक्तिगत/08

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम श्री रामदयाल; श्रीमती रिनतो नई.
(पति या पत्नी सहित)

2. पिता/माता का नाम - श्री छासीराम, श्रीमती मूला नई.

3. आश्रितों का नाम -
1. श्रीमती रिनतो नई पत्नी 60 वर्ष.
2. श्यामलाल पुत्र 25 वर्ष
3. गिरजा नई महिला 20 वर्ष
4. सरस्वती पौत्री 02 वर्ष

4. पता - पोस्ट - नगावपुर.

5. ग्राम - नीलगढ़

6. ग्राम पंचायत - डुगरिया

7. तहसील - गौहरजंज.

8. जिला - रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परंपरागत वन निवासी - गोंड

10. क्षेत्रफल - 540.5 वर्ग मी (निवासी), कृषि - 0.809 हे.

11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों

द्वारा सीमाओं का विवरण उत्तर - राजू नखर

(संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

पश्चिम - रास्ता, जंगल नो क्षेत्र, दक्षिण - मौ हन का क्षेत्र
उत्तर
इह हक दाव योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या
अंतरणीय नहीं है :-अ. मधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि
करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

जनजातीय अधिकारी/अप वन संरक्षक

संकीर्ण बाइबल

कलेक्टर

जिला-रायसेन

कलेक्टर/अप आयुक्त

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

जिला सहायक

रायसेन

6

24

उपबंध -2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008
का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र. 10112 / रायसेन/गोहराज/झुंझारिया/नीलगढ़ / 0012 / व्यक्तिगत/08

दिनांक : 31-08-2008

- वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम
(स्त्री या पत्नी सहित)
- पिता/माता का नाम -
- आश्रितों का नाम -

श्री मेघराज
श्रीमती भुटिया बाई
भैपालाल / श्रीराजबाई



- | | | | |
|----|------------|--------|---------|
| 1. | भुटिया बाई | पत्नी | 23 वर्ष |
| 2. | बलराम | पुत्र | 09 वर्ष |
| 3. | रक्षा | पुत्री | 07 वर्ष |
| 4. | सुरक्षा | पुत्री | 05 वर्ष |
| 5. | अंजली | पुत्री | 03 वर्ष |

- पता - पो. बगाल पुर
- ग्राम - नीलगढ़
- ग्राम पंचायत - झुंझारिया
- तहसील - गोहराज
- जिला - रायसेन

- अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गोंड
- क्षेत्रफल - नि 751 वर्ग मी. वृषि 0.809 हेक्टर.
- खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों
द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - नाला, RF 466

पश्चिम - जंगल, उत्तर - जंगल, दक्षिण - भैपालाल
(संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

वन मंडलीय अधिकारी/उप वन संरक्षक

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

कलेक्टर/उप आयुक्त

7

उपबंध - 2

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008
का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र. 10116 / रायसेन / 11/ए/अ/ उंगरिपा / नीलगढ़ / 10022 / व्यक्तिगत / 08

दिनांक : 31-08-2008

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम श्री प्रमारासिंह, श्रीमती जामवती.
(प्रति या पत्नी सहित)

2. पिता/माता का नाम -

श्री चेतनम / मोमल राई.

3. माश्रितों का नाम -

1. श्रीमती जामवती पत्नी 25 वर्ष
2. गगन पुत्र 08 वर्ष
3. दिनेश पुत्र 06 वर्ष.

4. पता - पोस्ट - बगालपुर.

5. ग्राम - नीलगढ़

6. ग्राम पंचायत - हुंजरिपा.

7. तहसील - गौहरगंज.

8. जिला -

रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति / अन्य परम्परागत वन निवासी - गोंड.

10. क्षेत्रफल - 1201.2 वर्ग मीटर (निराक्ष), बृषि - 0.809 हे.

11. खसरा / कंपार्टमेंट संख्या सहित मुख्य सीमाचिन्हों R F - 466

द्वारा सीमाओं का विवरण पूर्व - जगतसिंह जी (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

दक्षिण - गोपाल रावत पश्चिम - जंगल उत्तर - सुबन लाल रावत

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

एम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

बिरेन्द्र सिंह

वन मंडलीय अधिकारी/उप वन संरक्षक

वन मंडल - औवेदु गंज

रायसेन

भंडीप शाह

कलेक्टर

जिला - रायसेन

कलेक्टर/उप आयुक्त

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी
जिला रायसेन

आ.जा.क. रायसेन

उपबंध -2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 का नियम 8(ज) देखें)

अधिमोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

क्र./0108 /रायसेन/गौहरगंज/डुंगरिया / नीलगढ़ /0016 /व्यक्तिगत/08

दिनांक : 31.08.2010

- वन अधिकारों के धारक (को) के नाम श्री गोपाल सिंह
(पति या पत्नी सहित) श्रीमती मुन्नी बी.ई.
- पिता/माता का नाम - श्री चेतन/मोसल सिंह
- आश्रितों का नाम -

1. श्रीमती मुन्नी बी.ई. पत्नी		30 वर्ष
2. निमला पुत्री		15 वर्ष
3. कमलेश्वरी पुत्री		13 वर्ष
4. ज्योति पुत्री		11 वर्ष
5. जाग्रि पुत्री		09 वर्ष
6. नीरज पुत्र		07 वर्ष
7. अमित पुत्र		05 वर्ष



- पता - पोश्च कालपुर
- ग्राम - नीलगढ़
- ग्राम पंचायत - डुंगरिया.
- तहसील - गौहरगंज
- जिला - रायसेन

रायसेन

- अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी - जाति
- क्षेत्रफल - निवासी - 540.5 वर्ग मीटर, रुबि - 1.214 हे०
- खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिह्नों R F 466

गोपाल

द्वारा सीमाओं का विवरण पूर्व - जगदीश नाथ, उत्तर - प्रवेश, दक्षिण - जंगल, पश्चिम - जंगल, उत्तर - प्रवेश, दक्षिण - जंगल (संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

जिरेकार सिंह

वन मंडलीय अधिकारी/वन संरक्षक
वनमण्डल-ओबेदुल्लागंज
जिला-रायसेन

राजीव राव

कलेक्टर
जिला-रायसेन
कलेक्टर/उपआयुक्त

जिला जनजाति कार्योप अधिकारी
जिला-रायसेन
31.08.2010

9

24

उपबंध -2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें।

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए एक

ड./0101 / रायसेन/ गोरखगंज / झुंझारिया / नीलगढ़ / 0021 / व्यक्तिगत/08

दिनांक: 31-08-20

1. वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम - श्री रामसिंह, श्रीमती मंगोनाई.
(पत्नी या पत्नी सहित)

2. पिता/माता का नाम - श्री जानी / विश्वनिभा बाई.

3. अधिकारों का नाम -

1. श्रीमती मंगोनाई	पत्नी	32 वर्ष.
2. सरोज	पुत्री	12 वर्ष.
3. शिवकुमार	पुत्र	10 वर्ष.
4. राजीव	पुत्र	08 वर्ष.
5. गणेशराम	पुत्र	06 वर्ष.



4. पता - पोस्ट - बगालपुर.

5. ग्राम - नीलगढ़

6. ग्राम पंचायत - झुंझारिया.

7. तहसील - गौहरगंज

8. जिला - रायसेन

9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी - गौंड

10. क्षेत्रफल - ~~निगल~~ 720.7 क्व.मी., ~~वृषि~~ 0.809 हे०

11. खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों द्वारा सीमाओं का विवरण पूर्व - बालरामनाथ, उत्तर - राज, पश्चिम - तुलसीराम, दक्षिण - जंगल. RF- 466 राजसिंह

(संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार). यह एक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

वन मंडलीय अधिकारी/उप निरीक्षक

संतोष बाबू

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

कलेक्टर

जिला मंगोनाई

जिला - रायसेन

31-08-20 रायसेन

कलेक्टर/उपआयुक्त

11

उपबंध -2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008

का नियम 8(ज) देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक



011/रायसेन/गौहडोज/दुंगरिया/नीलगढ़/0029/व्यक्तिगत/08

दिनांक: 31-08-2008

वन अधिकारों के धारक (कों) के नाम

श्री मोहन सिंह

(मर्ति या पत्नी सहित)

श्रीमती सुखवती बाई

पिता/माता का नाम -

रामदयाल / शिवतो बाई

आश्रितों का नाम -

- | | | | |
|----|------------|--------|---------|
| 1. | सुखवती बाई | पत्नी | 25 वर्ष |
| 2. | विद्या | पुत्री | 05 वर्ष |
| 3. | विपिन | पुत्र | 03 वर्ष |
| 4. | विजय | पुत्र | 01 वर्ष |



मत्त - पो - बगालपुर

ग्राम -

नीलगढ़

ग्राम पंचायत -

दुंगरिया

तहसील -

गौहडोज

जिला -

रायसेन

अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी -

गोंड

क्षेत्रफल - वि. 751 का नी

कृषि - 0.405 हेक्टर

खसरा/ कंपार्टमेंट संख्या सहित प्रमुख सीमाचिन्हों

RF 466

द्वारा सीमाओं का विवरण - पूर्व - राजू

(संलग्न मानचित्र (शीट क्र. -) अनुसार)

पश्चिम - नाला, उत्तर - रामदयाल, दक्षिण - अल सिंह

हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या रणनीय नहीं है :-

अधोहस्ताक्षरी, मध्यप्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

निरंकर सिंह

सदीप दास

अमिन

मंडलीय अधिकारी/उप संरक्षक

कलेक्टर

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी

जिला-रायसेन

जिला-रायसेन

जिला संयोजक

जिला-रायसेन

कलेक्टर/उप आयुक्त

आ० जा० क० रायसेन

मीटन

परिशिष्ट अ अ

वन ग्राम में रहने का पट्टा

पुस्तक क्रमांक 1

पट्टा क्र० 88

वामपट्टन ओबेदुल्लाखान

परिक्षेत्र जिनेका

वन ग्राम नीलगढ़

खसरा नं. में से

भावित भूमि 3.5 (वर्ग) हेक्टर

पट्टा जारी करने की तिथि 01.07.1992

पट्टा समाप्ती होने की तिथि 30.06.2007

गवाह ...

गवाह ...

दिनांक 01-05-1999

वन मण्डलाधिकारी
श्री वन मंडल अधिकारी
वन मण्डल

29

पुस्तक क्र० 1

प० क्र० 88

नाम जयनाबाई देवा कुलाराम (विवाहित/अविवाहित)
ग्यारसी देवा लक्ष्मी आत्मज
राम

पत्नी X

पति X

जाति देशई

पट्टेदार के हस्ताक्षर

या अंगुठा निशानी

गवाह ...

गवाह ...

दिनांक 01-05-1999



जयनाबाई

वन मण्डलाधिकारी
श्री वन मंडल अधिकारी
वन मण्डल

जगदीश धुर्वे

मुझे वन ग्राम में बसने के लिए बनाये गये सभी
समय स्वीकार हैं।



पट्टेदार के हस्ताक्षर
या अंगुठा निशानी

1. नरपति
2. सुतसिंह
कि 01:05:14:14

Counter Signee.

Forest Range Officer
BINEKA.

cls
सिंह

वन ग्राम में रहने का पट्टा

88

पुस्तक क्रमांक 1

पृ 0 क्र 0

वनमण्डल अमृतपुरा

परिक्षेत्र बिनेका

वन ग्राम नीलगाँव

नाम जमनाबाई देवी (विवाहित/अविवाहित)

श्यामज श्यामज पुत्र पुनराम पुत्र श्रीज आत्मज पुनराम

पत्नी X

पति X

जाति दरोई

पट्टा देने की तारीख 01.07.1992

पट्टा समाप्त होने की तारीख 30.06.2007

जारी करने वाला अ.स. अ.

अमृतपुरा वन मण्डल अधिकारी.
वन मण्डल परिक्षेत्र
सो. वन सड़क अमृतपुरा गाँव
बिनेका

वन ग्राम में बसने के लिए बनाये गये सभी स्वीकार हैं।



पट्टेदार के हस्ताक्षर
या अंगुठा निशानी

गवाह 1 क मल
2 गंभीरान
दिनांक १०/११/९७



वन ग्राम में रहने का पट्टा

पुस्तक क्रमांक पृ १० ३१

वनमण्डल ओडीए

परिक्षेत्र विनेका

वन ग्राम नीकगढ़

नाम लक्ष्मण (विवाहित/अविवाहित)

आत्मज काजू

पत्नी रामकली

पति लक्ष्मण

जाति आदिवासी

पट्टा देने की तारीख ०१-७-१९९२

पट्टा समाप्त होने की तारीख ३०-६-२००७

जारी करने वाला *काजू आ*
ओडीए

वन मण्डल अधिकारी
श्री वन मण्डल अधिकारी
वनमण्डल

परिशिष्ट अ अ

वन ग्राम में रहने का पट्टा

पुस्तक क्रमांक 1 पट्टा नं० 31

वनमण्डल ओडीए

परिक्षेत्र विनेका

वन ग्राम नीकगढ़

खसरा नं. २५६६ में से

आवृत्त भूमि २ 1/2 (ठोड) हेक्टर

पट्टा जारी करने की तिथि ०१-७-१९९२

पट्टा समाप्ती होने की तिथि ३०-६-२००७

गवाह क मल

गवाह गंभीरान

दिनांक १०/११/९७

वन मण्डल अधिकारी
श्री वन मण्डल अधिकारी

पुस्तक नं० 1 पृ १० 31

नाम लक्ष्मण (विवाहित/अविवाहित)

आत्मज काजू

पत्नी रामकली

पति लक्ष्मण

जाति आदिवासी

पट्टेदार के हस्ताक्षर *काजू आ*

या अंगुठा निशानी *ओडीए*

गवाह क मल

गवाह गंभीरान

दिनांक १०/११/९७

वन मण्डल अधिकारी
श्री वन मण्डल अधिकारी
वनमण्डल

संतार

मुझे वन ग्राम में बसने के लिए बनाये गये सभी नियम स्वीकार है ।



पट्टेदार के हस्ताक्षर
या अंगुठा निशानी

- माह 1 ... कैमल
- 2 ... गाऊधीलाल
- ताक ... 4/11/92



वन ग्राम में रहने का पट्टा

पुक क्रमांक 1 30 30 32...

मण्डल ... ओरंगी ...

पंचत ... सिनेका ...

व ग्राम ... नीलबाद ...

ता ... जयशाम ... (बिवाहित/अबिवाहित)

उमर ... ५५ ...

पत्नी ... X ...

पते ... X ...

वृत्ति ... आदिवासी ...

पट्टा देने की तारीख 01/11/1992

पट्टा समाप्त होने की तारीख 30/6-2004

जारी करने वाला ... अ.प्र.अ. ...

उ.के.के.के.

(Signature)
वन मण्डल अधिकारी
सा. वन मण्डल अधिकारी
वजमण्डल

32
33

वन मंडल का
कोड क्रमांक 05/07

पुस्तिका क्रमांक 437

कृषक का नाम हनुमत खं पत्नी भारीबाई
पिता/ पति का नाम जेमा
पटवारी हल्का नं./ वीट का नाम उत्तर नीलगढ़
राजस्व निरीक्षक/ उप वन परिक्षेत्र नीलगढ़
तहसील वन परिक्षेत्र बिनिका
जिला शरद्वेन



निरीक्षक
कृषक के हस्ताक्षर या
अंगूठे की निशानी का नमूना
निरीक्षक

वन मण्डल अधिकारी.
श. वन मंडल अधिकारी
वनमंडल

परिशिष्ट अ अ

वन ग्राम में रहने का पट्टा

पुस्तक क्रमांक 1 पट्टा क्र० 29

वामपट्टन ओ बी ज

परिक्षेत्र किनेका

वन ग्राम नीलडांड

खसरा नं० R.F 466 मंसे

आवृत्त भूमि 2 1/2 (दरि) हेक्टर

पट्टा जारी करने की तिथि 01-11-1992

पट्टा समाप्त होने की तिथि 30-6-2004

गवाह 1

गवाह 2

दिनांक

5/11/97

वन मण्डल अधिकारी
सायं वन मंडल-बीबड़लाथ

पुस्तक क्र०

पृ० क्र० 29

नाम कमल (बिवाहित/अबिवाहित)

आत्मज धरणीदा

पत्नी छोटीआई

पति कुमल

जाति दरई

पट्टेदार के हस्ताक्षर कुमल

या अंगुठा निशानी

गवाह 1

गवाह 2 कुमलश्रीराम


दिनांक 4/11/97

वन मण्डल अधिकारी
बीबड़लाथ

मंसे

यूजे वन ग्राम में बसने के लिए बनाये गये सभी नियम स्वीकार हैं।

रामा



विद्वान् के हस्ताक्षर
या अंगुठा निशानी

गवाह 1 *कमल*

2 *गणेश*

दिनांक *4/7/97*



वन ग्राम में रहने का पट्टा

पुस्तक क्रमांक *1*

वनमण्डल *ओरिजा*

परिक्षेत्र *बिनेका*

वन ग्राम *नीलगाढ़*

नाम *रामा* (विवाहित/अविवाहित)

आत्मज *दोना*

पत्नी *फुलकी बर्हि*

पति *रामा*

जाति *दरोई*

पट्टा देने की तारीख *01-7-1992*

पट्टा समाप्त होने की तारीख *30-6-2007*

जारी करने वाला *अमर*
ओरिजा

[Signature]
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल



परन्तु महत्वपूर्ण मार्ग स्थित हैं। अभयारण्य के अंदर 32 गांव बसे हुये हैं और अभयारण्य की सीमा के आस-पास भी अनेक गांव स्थित हैं। गाँवों में आने जाने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र में अनेक लोगों की आवाजाही बनी रहती है। भोपाल के कुछ कुख्यात शिकारी हमेशा अभयारण्य में घात लगाने की कोशिश में रहते हैं। क्योंकि यह अभयारण्य भोपाल जैसे राजधानी वाले शहर से मात्र 45 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार अवैध शिकार का दबाव बना रहता है। पिछले 5 सालों में अवैध शिकार, अवैध चराई, मछली पकड़ना, अतिक्रमण और अवैध कटाई की जानकारी तालिका क्रमांक 2.9.11.6 में दर्शाई गई है।

वर्षवार वन अपराधों की संख्या

वर्ष	अवैध शिकार	अवैध कटाई	अवैध चराई	अवैध मछली पकड़ना	अवैध अतिक्रमण	अवैध उत्खनन	अग्नि घटना	अवैध परिवहन	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2002-03	03	320	06	-	-	-	04	-	01
2003-04	07	412	37	-	01	01	06	-	02
2004-05	03	504	28	01	10	-	08	01	03
2005-06	06	418	18	-	02	01	59	01	01
2006-07	02	411	10	02	01	-	55	11	06
योग	21	2065	99	03	14	02	132	13	12

तालिका क्र. 2.9.11.6

2.12 अभयारण्य के अन्दर बसे ग्राम :

अभयारण्य के भीतर पूर्ण रूप से तथा आंशिक रूप से बसे ग्रामों की जानकारी तालिका क्र. 2.9.11.7 में दर्शाई गई है।

अभयारण्य के भीतर पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बसे ग्राम

जिला	परिक्षेत्र	क्र.	ग्राम का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5
रायसेन	दाहोद	1	झिरी - बहेड़ा	ग्राम बहेड़ा ग्राम झिरी का टोला है।
		2	जावरा-मलखार	ग्राम मलखार ग्राम जावरा का टोला है।
		3.	करमई	ग्राम करमई, ग्राम बमनई का टोला है।
		4	बमनई	
	बरखेड़ा	5	गौतमपुर-कालोनी	ग्राम जोंधरा, ग्राम गौतमपुर कालोनी का टोला है।
		6	गौतमपुर-जौंदरा	

		7	नासीपुर	
		8	भूतपलासी	
		9	पिपलानी कला	
		10	कैरी-चौका	
		11	बिनेका-बोरदा	
		12	बोरदा	
		13	बरखेड़ा	
		14	पांझिर	
		15	करमोदा	
	बिनेका	16	दांत खौ	
		17	लुलका	
		18	बोरखाड़ी	
		19	मरगरघा पिपलिया	
		20	खपरिया खापा	
		21	मंडवा रमपुरा	
		22	जैतपुर	
		23	साजौली	ग्राम साजौली, ग्राम जैतपुर का टोला है।
		24	बिनेका	
		25	डामडोंगरी	
		26	बम्हौरी	
		27	घाटखमरिया	आंशिक रूप से अभयारण्य के अंदर
		28	नीलगढ़	(वनग्राम) कक्ष क्र. आर.एफ 467 में बसा
		29	धुनवानी	(वनग्राम) कक्ष क्र. आर.एफ 483 में बसा
सीहोर	देलाबाड़ी	30	मथार	(वनग्राम) कक्ष क्र. आर.एफ 535, 536, 537, 539, 543, 544 एवं 546 में बसा
		31	देलाबाड़ी	
		32	सुरइ ढाबा	
राजस्व ग्राम 29 वन ग्राम 3 मजरे टोले 3				
तालिका क्र. 2.9.11.7				

2.12.1 ग्रामों के परिवार, जनसंख्या तथा पशुओं की जानकारी:

अभयारण्य में परिक्षेत्रवार ग्रामवार परिवारों, जनसंख्या तथा पशुओं की जानकारी तालिका क्र. 2.9.11.8 में दर्शाई गई है।

परिक्षेत्रवार ग्रामवार परिवारों, जनसंख्या तथा पशुओं के आंकड़े

जिला	परिक्षेत्र	क्र.	ग्राम का नाम	परिवार संख्या	जनसंख्या	पशु संख्या	ग्राम का क्षेत्रफल
रायसेन	बरखेड़ा	1	बरखेड़ा	34	1606	7527	117.842
		2	बोरदा	52	258	310	159.631
		3	बिनेका(बोरदा)	168	839	273	187.789
		4	पिपलानी कला	77	385	247	1256.587
		5	भूतपलासी	55	273	174	618.493

		6	नासीपुर	54	271	262	149.943
		7	गौतमपुर कालोनी	606	3030	395	309.303
		8	गौतमपुर जाँदरा				
		9	करमोदा	280	1400	202	1155.343
		10	कैरी - चौका	35	175	157	134.635
		11	पांझिर	52	258	310	1683.028
	बिनेका	12	बिनेका (अंशिक)	210	1049	560	105.467
		13	डामडोंगरी (अंशिक)	47	234	363	110.374
		14	बम्हौरी (अंशिक)	44	219	270	92.769
		15	घाटखमरियां (अंशिक)	159	796	221	114.578
		16	मगरघा पिपलिया	73	363	324	194.331
		17	खपरिया खापा	145	723	418	288.461
		18	मंडवा रमपुरा	77	387	224	192.510
		19	लुलका	103	515	662	61.744
		20	बोरखाड़ी	105	527	684	160.161
		21	दांत खो	09	44	123	108.299
		22	जैतपुर	97	483	632	29.352
		23	साजौली				
		24	नीलगढ (वनग्राम)	32	158	118	45.040
		25	धुनवानी (वनग्राम)	31	157	140	41.100
	दाहोद	26	करमई	108	540	370	338.121
		27	बमनई				
		28	जावरा -मलखार	295	1477	691	62.348
		29	झिरी -बहेड़ा	183	914	639	479.720
सीहोर	देलाबाड़ी	30	देलाबाड़ी	40	186	225	26.343
		31	सुरई -ढाबा	18	78	115	53.240
		32	मथार (वनग्राम)	112	894	1663	220.900
			योग	3301	18239	18299	8487.458

तालिका क्र. 2.9.11.8

2.13 वर्तमान प्रवेश द्वार :

अभयारण्य में वर्तमान प्रवेश द्वारों की जानकारी तालिका क्रमांक 2.9.11.9 में दर्शाई गई है।

वर्तमान प्रवेश द्वार

परिक्षेत्र	स्थल
देलावाडी	मथार
—	नाहरकोला (गौसदन के पास)
—	यार नगर
बरखेड़ा	बरखेड़ा (बरूसोत गेट)
बिनेका	रमपुरा
—	घोड़ा पछाड़

12.4.3 सिर बोझ से जलाउ विक्री करने वालों को रोजगार उपलब्ध कराना :

अभयारण्य के अंदर स्थित गरीब आदिवासियों के पास रोजगार के कोई वैकल्पिक साधन नहीं है और वे परम्परागत रूप से सिर बोझ से जलाउ लकड़ी लाकर समीप के कस्बों में विक्रय करते रहे हैं अतः इस व्यवस्था को रोकने के साथ-साथ उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। ऐसे रोजगारों के सम्बंध में उपर की कंडिकाओं में विस्तृत उल्लेख किया गया है। फिर भी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से कुछ ऐसे विकल्प उभर कर आ सकते हैं जो उपर वर्णित विकल्पों के अतिरिक्त होंगे। उन पर भी विचार किया जाये और ग्रामीणों को अभयारण्य के विकास की सरिता में सम्मिलित किया जाये।

12.4.4 चराई प्रबंधन :

ईको विकास रणनीति में जलाउ लकड़ी एवं चराई व्यवस्था के अंतर्गत उक्त विषय में उल्लेख किया गया है उक्त चक्रिय चराई व्यवस्था हेतु 2 हे0 प्रति पशु इकाई के अनुसार चराई योजना तैयार की गई है और चक्रिय व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया गया है। उक्त व्यवस्था में अतिरिक्त प्रतिपूर्ति करने के उद्देश्य से निम्न स्थानों पर चारागाहों का विकास किया जायेगा और ग्रामीणों को यह समझाइस भी दी जायेगी कि वे अनुपयोगी पशुओं की संख्या कम करें तथा अच्छी नस्ल के अच्छे दुधारु पशु तथा खेती किसानों के लिये अच्छे मजबूत नश्ल के बैल ही रखें। अनुपयोगी पशुओं की संख्या बढ़ते रहने को हतोत्साहित किया जाये।

6.7.2 अभयारण्य में सतत् पेट्रोलिंग की व्यवस्था :

अभयारण्य में यद्यपि कहीं-कहीं टेलीफोन का नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता है और बीटगार्डों के मुख्यालय पर नहीं रहने की प्रवृत्ति से वायरलेस सुविधा का भी पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। बीटगार्डों और अन्य कर्मचारियों की मुख्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने का वर्तमान में कोई प्रभावी तंत्र उपलब्ध नहीं है। जिस कारण अनेक बीट गार्ड बिना अनुमति के अनुपस्थित हो जाते हैं और वनों की सुरक्षा प्रभावित होती है। इस व्यवस्था का निराकरण चौकी व्यवस्था एवं निरंतर संचार व्यवस्था से हो सकेगा। प्रभावी पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान वनमार्गों के उन्नयन और कुछ नये वन मार्ग बनाया जाना आवश्यक है। वर्तमान वनमार्गों की की जानाकारी तालिका क्रमांक 6.7.2 में दर्शाई गई तथा वनमार्गों का प्रस्तावित उन्नयन और नये वनमार्गों के निर्माण के प्रस्ताव तालिका क्र. 6.7.2.1 एवं 6.7.2.2 में दर्शाये गये हैं।

वर्तमान वनमार्गों की सूची

अभयारण्य का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वनमार्ग का नाम	वनमार्ग की लम्बाई (कि.मी. में)		
			पहाडी	मैदानी	योग
रातापानी अभयारण्य, औ.गंज	देलावाडी	देलावन से आमखो	3.0	2.0	5.0
		देलावन से कोट झिरी	6.0	4.0	10.0
		मथार गेट से मथार	3.0	4.0	7.0
		मथार गेट से चोरबावडी	0.0	1.0	1.0
		मथार से खजूरी	10.0	4.0	14.0
		POW कैंप रिंग रोड	1.0	1.0	2.0
		देलावाडी से घोडा चौक	3.0	5.0	8.0
		गौसदन से माहीखाल बावडी	0.5	0.5	1.0
		गौसदन से गिन्नौर गढ (3मूर्ति)	3.0	2.0	5.0

		गौसदन से फर्सीखदान किला	3.5	0.0	3.5
		बारधा से मथार	4.0	4.0	8.0
		बारधा से जमुनिया	1.0	4.0	5.0
		जमुनिया से मथार	3.0	3.0	6.0
		मथार से बीजाढना कोटझिरी जोड	1.0	2.0	3.0
		आमडो से खजूरी	4.0	6.0	10.0
		वन विश्राम गृह के दोनो ओर PWD रोड तक	0.0	1.0	1.0
		PWD रोड से भदभदा जल प्रपात	0.0	0.5	0.5
		योग	46.0	44.0	90.0
रातापानी अभ्या. औ.गंज	विनेका	बिनेका से जैतपुर	17.0	5.0	22.0
		बिनेका से बोरपानी	0.0	6.0	6.0
		रमपुरा से जैतपुर	9.0	6.0	15.0
		घोडापछड से धुनवानी	7.0	3.0	10.0
		जैतपुर से साजौली	6.0	0.0	6.0
		बीलगढ से जैतपुर ✓	6.0	0.0	6.0
		धुनवानी से दामादेही	6.0	0.0	6.0
		बीलगढ से चाँदलाघाट ✓	11.0	0.0	11.0
		साजौली से चाँदलाघाट	0.0	7.0	7.0
		योग	62.0	27.0	89.0
रातापानी अभ्या. औ.गंज	बरखेडा	लाखाज्वार से जोधरा	5.0	0.0	5.0
		जोधरा से बूढी पिपलानी	4.0	2.0	6.0
		करमोदा से बूढी पिपलानी	6.0	2.0	8.0
		भूतपलासी से बूढी पिपलानी	9.0	0.0	9.0
		भीमबैटिका से लाखाज्वार	7.0	2.5	9.5
		PWD रोड से अकोलावालीगवाडी	6.0	4.0	10.0
		बोरपानी से गेरुआ	3.0	5.0	8.0
		बरखेडा से बरुसोत	4.0	4.0	8.0
		बरुसोत से रातापानी	5.0	0.0	5.0
		बरुसोत से ढेलघाटी	3.0	0.0	3.0
		पिपलिया गोली से ढेलघाटी	5.0	10.0	15.0
		पिपलिया गोली से बोरपानी	6.0	4.0	10.0
		योग	63.0	33.5	96.5
रातापानी अभ्या. औ.गंज	दाहोद	करमई से जावरा	8.0	12.0	20.0
		जावरा से झिरी सिम्पलेक्स	7.0	10.0	17.0
		जावरा से मलखार	3.0	5.0	8.0
		मलखार से चोदनीचौक झिरी	2.0	3.0	5.0

	जावरा से मलखार इमलिया	1.0	2.0	3.0
	सेतुबरखेडा से कोलार रोड	1.0	2.0	3.0
	केसलवाडा से नन्दौरा	1.0	1.0	2.0
	इमलाना से कोटझिरी कोलार	4.0	3.0	7.0
	जावरा से कोटझिरी त्रिवेणी	4.0	4.0	8.0
	बखरिया से मेंहरमांगा होकर व्ही. पी. टैंक तक	2.0	3.0	5.0
	योग	33.0	45.0	78.0
	वनमार्गों का कुल योग	204.0	149.5	353.5

तालिका क्रमांक 6.7.2

वनमार्गों का उन्नयन

क्र.	मार्ग का नाम	लम्बाई	परिक्षेत्र
1	खजूरी-मथार मार्ग विशेष मरम्मत	10 कि.मी	देलाबाड़ी
2	जैतपुर-साजौली	4 कि.मी.	बिनेका
3.	घोड़पछाड़-नीलगढ़	5 कि.मी.	बिनेका
4.	घोड़पछाड़-जैतपुर	12 कि.मी.	बिनेका
5.	बिनेका-लुलका	3 कि.मी.	बिनेका

तालिका क्रमांक 6.7.2.1

नये वनमार्गों का निर्माण

क्र.	वन मार्ग का नाम	कि.मी.	परिक्षेत्र
1	2	4	5
1	जावरा से वग्गीबाला	5 कि.मी.	दाहोद
2	पठारकांसिया से बावडिया	3 कि.मी	दाहोद
3	ओल्ड कोलार रोड से भोपाल	8 कि.मी	दाहोद
4	तूमड़ा खेड़ा-बखरियां-कैरी महादेव	15 कि.मी	दाहोद
5	झिरी-फिरगी पठार शिलाजीतकराड़ मोहन पाठा	7 कि.मी	दाहोद
6	लुलका-खरदरिया-दांत खो	12 कि.मी	बिनेका
7	लुलका मगरघा बोरखाड़ी	10 कि.मी	बिनेका
8	बारघा नाके से कहुझिरी	3 कि.मी	देलाबाड़ी
9	खजूरी-झाल पीपली	5 कि.मी	देलाबाड़ी
10	देलाबाड़ी-आमखो	7 कि.मी	देलाबाड़ी
11	बरूसोत-कालीमाटी तालाब	10 कि.मी	बरखेड़ा
12	साजवाली-गूलरघाटी क्षेत्र	8 कि.मी	बरखेड़ा
13	सिंहपुर-डोब डामर रोड़	9 कि.मी	बरखेड़ा

तालिका क्रमांक 6.7.2.2

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सा० वनमंडल औबेदुल्लागंज

होशंगाबाद रोड औबेदुल्लागंज फोन नं० 07480.224062 फेक्स नं० 07480-224911 email-dfooganj@mpforest.org

Annexure-II

Proposal fulfills all the conditions of voluntary relocation guidelines Dated 20.05.2019

issued by the ministry:-

S.no.	Conditions	Compliance
1.	Resettlement/ relocation within the boundaries of the notified forest land be considered only if suitable non-forest land not available within the vicinity of the protected area from where the relocation is proposed;	Condition is being followed and letter is also attached in page no. 12 of proposal. (Please see page no. 1 of Annexure-II)
2.	The District Collector concerned shall furnish to the NTCA a certificate of non-availability of land suitable for relocation of the villages located within the Protected Area and Tiger Reserves before any proposal of relocation within the forest is approved;	Condition is being followed and letter is also attached in page no. 12 of proposal. (Please see page no. 1 of Annexure-II)
3.	The land identified for relocation/rehabilitation should not result in fragmentation of the forest/wildlife habitat;	Condition is complied with
4.	The relocation shall be undertaken solely as a process of consolidation of the wildlife habitat;	Condition is complied with
5.	The relocation shall be undertaken only along the fringes of the forest such that all facilities to the resettled families can be provided without recourse to further diversion of forest land for providing infrastructure;	Condition is complied with
6.	The land/villages within the forest which have been vacated shall be brought under the protected area network through enabling notification under the Wildlife Protection Act after extinguishing all the existing rights over the vacated land;	Condition is complied with
7.	The extent of land de-reserved / de-notified for resettlement shall not be more than the extent vacated by the settlers in the core area; and	Condition is complied with
8.	The payment of NPV and cost of CA may be exempted in all such cases of voluntary relocation/ rehabilitation of families from the protected areas undertaken within the forest land.	Condition is complied with


Divisional Forest Officer
Division Obaidullaganj

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख जिला रायसेन (म.प्र.)

फोन नं. - 07482-223005

E-mail:- slrrai@mp.gov.in

रायसेन दिनांक 12/12/2021

क्रमांक/2245/17-भू-अभि./वर्कलोड/2021

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल औबेदुल्लागंज
जिला रायसेन (म.प्र.)

विषय:- जिला रायसेन रातापानी वन्य अभ्यारण्य में स्थित वन ग्राम नीलगढ एवं धुनवानी के विस्थापन हेतु राजस्व भूमि उपलब्ध कराने बाबत ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक /मा.वि./21/4024/औ.गंज दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में ।

---0---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा वनग्राम नीलगढ एवं धुनवानी के विस्थापन हेतु लगभग 200 हेक्टर कृषि योग्य राजस्व भूमि उपलब्ध होने के संबंध में अवगत कराने अथवा राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रदाय करने का लेख किया है। आपके द्वारा चाही गई वांछित जानकारी जिले की तहसीलो से प्राप्त की गई। तहसीलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 200 हेक्टर इकजाई कृषि योग्य राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं है।

कलेक्टर
जिला रायसेन (म.प्र.)


DUBBEY MAIN

KML Map of proposed village "Neelgarh"

Area 55.00 Hectare

Legend

- Altam's general store
- CENTRAL BANK OF INDIA?
- Feature 1
- Patch-1
- Patch-2



Google Earth

Image © 2022, CNES / Airbus

वसुधैवकुटुम्बकम्
सा. कर्मण्येवाहिममृशते
श्रीवेदुल्लभ

KML Map

Area under Habitation, Agricultural & for cattle grazing

Legend

- Feature 1
- Feature 2
- Feature 3
- NEELGARH6 06 18 10 PM

LEGEND

	Area under Habitation & Agriculture
	Village total vacated area.




600 m

Google Earth

© 2022 CNES / Airbus

(Handwritten signature)
श्री. वसुदेव लाल ओवेरवाला

Density Map as per Working Plan of Village Neelgarh



LEGEND	
	NH-45
	Proposed Naya Neelgarh Village area

(Signature)
 वनमण्डलाधिकारी
 सा. वनमण्डल औबेदलमण्डल

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सा० वनमंडल औबेदुल्लागंज

होशंगाबाद रोड औबेदुल्लागंज फोन नं० 07480.224062 फेक्स नं० 07480-224911 email-dfooganj@mpforest.org

Certificate

This is to certify that the area under "Neelgarh Village" of Ratapani Wildlife Sanctuary, Division Obedullaganj, District Raisen will become inviolate and no families/persons will be left within this village for further relocation. For this consensus of all the villagers have already been attached with the proposal.


Divisional Forest Officer
Division Obaidullaganj